

**जनपद मऊ में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ एवं अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में वर्ष 2024 में माह अगस्त तक निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है-**

1. वर्ष 2024 में कुल की गयी 14 (1) गैग्रेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही 19 प्रकरण में 52977500 रुपये की सम्पत्ति
2. माह अगस्त में कुल की गयी 14 (1) गैग्रेस्टर एक्ट के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही - 05 प्रकरण में 47523500 रुपये की सम्पत्ति
3. वर्ष 2024 में गैग्रेस्टर एक्ट के पंजीकृत अभियोगों का विवरण 27 अभियोग में 100 अभियुक्तों के विरुद्ध।
4. माह अगस्त में गैग्रेस्टर एक्ट के पंजीकृत अभियोगों का विवरण 5 अभियोग में 24 अभियुक्तों के विरुद्ध।
5. वर्ष 2024 में गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही 218 अभियुक्तों के विरुद्ध
6. माह अगस्त में गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही 17 अभियुक्तों के विरुद्ध
7. वर्ष 2024 में गुण्डा एक्ट के तहत जिलाबदर कराये गये अभियुक्त - 106
8. माह अगस्त में गुण्डा एक्ट के तहत जिलाबदर कराये गये अभियुक्त - 08
9. वर्ष 2024 में गुण्डा एक्ट के तहत थाने पर हाजिरी का आदेश कराये गये अभियुक्त - 90
10. माह अगस्त में गुण्डा एक्ट के तहत थाने पर हाजिरी का आदेश कराये गये अभियुक्त - 07
11. वर्ष 2024 में अपराधियों की निगरानी हेतु खोली गयी हिस्ट्रीशीट - 60
12. माह अगस्त में अपराधियों की निगरानी हेतु खोली गयी हिस्ट्रीशीट - 29
13. वर्ष 2024 में कुल 22 गैंग पंजीकृत किये गये जिसमें कुल अपराधियों की संख्या - 81
14. माह अगस्त में कुल 10 गैंग पंजीकृत किये गये जिसमें कुल अपराधियों की संख्या - 37
15. वर्ष 2024 में विभिन्न अपराधों में संलिप्त 43 अभियुक्तों को पुरस्कार घोषित किया गया जिसमें से 23 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी तथा 01 अभियुक्त जनपद मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।
16. वर्ष 2024 में अभियोगों की प्रभावी पैरवी करते हुए 194 अभियोगों में 331 अभियुक्तों को सजा करायी गयी
17. माह अगस्त में अभियोगों की प्रभावी पैरवी करते हुए 32 अभियोगों में 53 अभियुक्तों को सजा करायी गयी।

**प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी व उनके सहयोगियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही -**

1. माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी अमित यादव पुत्र सन्ता यादव निवासी हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ का एक अदद वाहन यूपी 54 एल/4357 हीरो होण्डा स्पेलेन्डर प्रो अनुमानित कीमत 25000 रु० है, उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया।
2. माफिया मुख्तार अंसारी के नये चिन्हित सहयोगी अभियुक्त अफजाल अहमद उर्फ अफजाल खान उर्फ रिकू पुत्र इरफान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुरा हा०पता भिन्न-2 स्थान थाना

कोतवाली जनपद मऊ को जनपद स्तर के भू-माफिया में चिन्हित कर दिनांक 10.08.2024 को थाना कोतवाली अन्तर्गत मु०अ०स० 258/2024 धार 3(1) गैंगस्टर एक्ट में अभि० को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

3. माफिया मुख्तार के सहयोगी शक्ति सिंह पुत्र उमेश सिंह निवासी मिर्जापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ के विरुद्ध एच०एस० (273ए) खोलने की कार्यवाही की गयी।

4. मुख्तार अंसारी के सहयोगी हर्षवर्धन सिंह उर्फ डिल्लू पुत्र हरिप्रसाद सिंह उर्फ शिव प्रसाद उर्फ शिव प्रसाद सिंह निवासी हिन्दोला थाना मु०बाद जनपद मऊ अस्थाई पता अम्बेडकर नगर तिराहा अन्धा मोड भीटी थाना कोतवाली जनपद मऊ के विरुद्ध हिस्ट्रीशीट 124ए खोला गया।

5. माफिया मुख्तार अंसारी सहयोगी 1. मुज्जमिल हसन पुत्र हाजी मुख्तार सा. सरवा बिचलापुरा थाना सरायलखन्सी मऊ 2. तारिक पुत्र मु० फैजल सा. डोमनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ 3. मो० सलमान पुत्र मो० अली सा. डोमनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ 4. आमिर हमजा पुत्र एकलाख अहमद सा. डोगनपुरा चमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ की हिस्ट्रीशीट खोली गयी है।

6. माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी 1. उमेश सिंह पुत्र स्व० रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ वर्तमान पता राय पैलेस के पास बलिया मोड थाना कोतवाली जनपद मऊ 2-राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र स्वा) रामवृक्ष सिंह निवासी अहिलाद थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ वर्तमान पता परदहा मिल रोड विकास भवन के पास थाना कोतवाली जनपद मऊ के विरुद्ध थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ से डी-133 गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी जिसमे डी-133 में गैंग का लीडर उमेश सिंह व सदस्य राजेश सिंह है।

7. माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी 1. अबू रफी आजमी पुत्र मुख्तार अहमद निवासी जमालपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 2 - जियाउर्रहमान पुत्र मुख्तार अहमद निवासी जमालपुर थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से डी-132 गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी जिममे डी-132 में अबू रफी आजमी गैंग का लीडर व जियाउर्रहमान सदस्य है।

8. माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी 1. तारिक पुत्र फैसल निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 2- मो० सलमान पुत्र मो० अली निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 3- आमिर हमजा पुत्र एखलाख अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 4- मो० तलहा पुत्र अताउर्रहमान निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 5- जावेद आरजू पुत्र अनीस अहमद निवासी दनादनगर डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 6- मो० हासिम पुत्र अरशद कमाल निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 7- मो० इब्राहिम पुत्र एजाज अहमद निवासी डोमनपुरा हिब्बा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 8- राशिद पुत्र औजेर निवासी मिर्जाहादीपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से डी-131 गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी जिसमे तारिक गैंग का लीडर व अन्य सदस्य है।

9. माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी 1. मो0 आदिल पुत्र एजाज निवासी डोगनपुरा हिब्बा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ 2. शमीम पुत्र मुर्तजा निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ से डी-130 गैंग पंजीकरण की कार्यवाही की गयी जिसमे आदिल गंग लीडर व शमीम सदस्य है।

10. माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी जनपद भू-माफिया अफजाल अहमद उर्फ अफजाल खान उर्फ रिकू पुत्र इरफान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुरा हा०पता भिन्न-2 स्थान थाना कोतवाली जनपद मऊ अपने नाम से जमीन आराजी नं0 109 रकबा 340.2 वर्गमीटर (अनुमानित कीमत रू० 2,04,12,000) मौजा सहादतपुरा व अपनी पत्नी नेहा अमान के नाम आराजी सं0 109 रकबा 113.4 वर्गमीटर (अनुमानित कीमत रू० 70,87,500) क्रय किया है जिसको उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

### **प्रदेश स्तरीय चिन्हित माफिया रमेश सिंह काका के विरुद्ध कार्यवाही**

1. माफिया रमेश सिंह काका के सहयोगी सुधीर सिंह पुत्र रमेश सिंह उर्फ काका निवासी कैथवली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित धन से वर्ष 2018 में मौजा कोलबाजबहादुर, परगना निजामाबाद, तहसील सदर जनपद आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या 474 में रकबा 0.0176 हे० भूमि क्रय किया जाना पाया गया तथा उक्त गाटा संख्या 474 से रकबा 0.0091 हे० भूमि (अनुमानित मूल्य रू० 14,01,000, वर्तमान बाजार मूल्य रू 70,07,000 है) अभियुक्त सुधीर सिंह द्वारा अपनी बहन सुधा सिंह पत्नी रोशन सिंह निवासिनी विशुनपुर तहसील विद्यापीठ जनपद वाराणसी के नाम पर दिनांक 29.10.2020 को बतौर संक्रमणीय भूमिधर बैनामा कर दिया गया। सुधीर सिंह की बहन सुधा सिंह उक्त भूमि की केवल दृश्यमान स्वामिनी है जिसको उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० की धारा14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

### **जनपद स्तर पर चिन्हित माफिया के विरुद्ध कार्यवाही**

1. अपराधी अफजाल अहमद उर्फ अफजाल खान उर्फ रिकू पुत्र इरफान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुरा हा० पता भिन्न-2 स्थान थाना कोतवाली जनपद मऊ को जनपद स्तर के भू-माफिया थाना कोतवाली से चिन्हित किया गया।

2. अपराधी जलसूर पुर छेदी निवासी कैथवली धर्मपुर कसारयर थाना मधुबन जनपद मऊ को जनपद स्तर के गौ-तस्कर माफिया थाना मधुबन से चिन्हित किया गया।

3. अपराधी राजकुमार यादव पुत्र नरेश यादव निवासी विग्रहपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को जनपद स्तर के गौ-तस्कर माफिया थाना मधुबन से चिन्हित किया गया। HS-106 ए 30.09.2022

4. भू-माफिया अफजाल अहमद उर्फ अफजाल खान उर्फ रिकू पुत्र इरफान निवासी नेवादा पठानपुरा थाना मरदह जनपद गाजीपुरा हा०पता भिन्न-2 स्थान थाना कोतवाली जनपद मऊ अपने नाम से जमीन आराजी नं0 109 रकबा 340.2 वर्गमीटर (अनुमानित कीमत रू० 2,04,12,000) मौजा सहादतपुरा व अपनी पत्नी नेहा अमान के नाम आराजी सं0 109 रकबा 113.4 वर्गमीटर (अनुमानित कीमत रू० 70,87,500) क्रय किया

है जिसको उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किया गया।

5. जनपद स्तर शराब माफिया धर्मेन्द्र मौर्य के गैंग का सहयोगी 1-निर्भय नरायन सिंह पुत्र जगदीश सिंह नि० हैबतपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के विरुद्ध 226बी० हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी है।

#### **गुम हुए 03 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 47,497 रुपये) स्वामियों को कराया गया वापस-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की टीम द्वारा गुम हुए 03 मोबाईल फोन (कीमत लगभग 47,497 रुपये) को बरामदगी के लिए सार्थक प्रयास करते हुए गुम मोबाईल फोन को बरामद कर मोबाईल स्वामियों को दिया गया। पीड़ितों द्वारा प्रफुल्लित मन से मऊ पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

#### **बरामदकर्ता टीम-**

नि० राजकुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखन्सी, निरीक्षक अपराध हरेन्द्र सिंह, उ०नि० श्री प्रभात क०आ० नितेश तिवारी, म०का० शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी।